न्यायालय उपखण्ड अधिकारी..पीपलखूंट..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-1-20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पुनः आदेशार्थ दिनांक 13-2-2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट (राज.)	
13-2-20	पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधि० उप० प्रतिवादी अनु० पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 19-2-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट (राज.)	पुनमचंद
19-2-20	पत्रावली पेश हुई। वादी उप० प्रति० अनु० पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 24-2-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट (राज.)	पुनमचंद
24-2-20	पत्रावली पेश हुई। वादी उप० प्रति० अनु० पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 28-2-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट (राज.)	
28-2-20	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकार मय अधि० उपस्थित। आज दिनांक 28-2-20 को वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिख कर सुनाया गया जो पृथक से लिखा निर्णय पत्रावली में शामील है। पत्रावली फैसल शुमार दाखिल नम्बर से दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी पीपलखूंट (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलखूँट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– दिनेश कुमार मण्डोवरा (RAS)

मुकदमा नंम्बर – 66/2010

निर्णय दिनांकः– 28.02.2020

पुनमचन्द पिता लाला, उम्र वयस्क, जाति मीणा, निवासी दोतड़, तहसील पीपलखूँट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

–:वादी

बनाम

1. सजना पत्नि रखीया, उम्र वयस्क, जाति मीणा
2. रखिया पिता रतना, उम्र वयस्क, जाति मीणा
3. नवला पिता कचरू, उम्र वयस्क, जाति मीणा
   सभी निवासीयान ग्राम दोतड, तहसील पीपलखूँट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. तहसीलदार पीपलखूँट, तहसील पीपलखूँट, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

–: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितः–

1. श्री गोपाल तम्बोली (वकील वादी)
2. श्री कैलाश तम्बोली (वकील प्रतिवादीगण)

निर्णय

वादी की ओर से एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दोतड़, प.ह. कचोटिया, तहसील पीपलखूँट, जिला प्रतापगढ़ (राज.) में राजकीय खाते की आराजी नंम्बर 245 रकबा 12 बीघा 14 बीसवा स्थित है जिसमें से 05 बीघा पर वादी के पिता के समय से लगभग 60 वर्षो से लगातार काबिज काश्त है। वादी के पिता के देहांत के बाद से वादी का कब्जा चला आ रहा है एवं फसल बोता व लेता आ रहा है। वादी का कब्जा काश्त 12 वर्ष से अधिक समय से 05 बीघा पर मुखाल फाना होने से एडवर्स पजेशन है। यह कि आराजी नंम्बर 245 रकबा 12 बीघा 14 बीसवा के नये सेटलमेन्ट नम्बर क्रमशः 417, 425, 426 रकबा क्रमशः 0.13, 0.72, 0.06 है। उक्त भूमि से आराजी नंम्बर 418, 419, 420 से लगती हुई है जो वादी की खातेदारी भूमि है। वाद पत्र के अनुसार वादी ने कब्जा काश्त किसी स्वतंत्र गवाह एवं खसरा गिरदावरी का रिकोर्ड प्रस्तुत नही किया एवं पजेशन को आधार मानने हेतु आस पास के पडौस के गवाह एवं तहसीलदार रिपोर्ट नही मंगवाने से पजेशन साबित करने में सफल नही होना बताया गया। RRD 1980 पेज नंम्बर 464 में बताया है कि मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अध्किार नही दिये जा सकते है, जब तक दस्तावेजी साक्ष्य नही होने पर एवं प्रतिवादी नवला पिता कचरू मीणा, ग्राम दोतड, प.ह. कचोटिया, तहसील पीपलखूंट की आरजी नंम्बर 417, 445, 446 रकबा क्रमश 0.15, 0.72, 0.06 हैक्टर नियमानुसार एलोटमेन्ट होकर खातेदार है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से सजना पत्नि रखीया मीणा, निवासी दोतड़ के नाम दर्ज रिकोर्ड है। वाद में प्रतिवादीगणों ने जवाब पेश किया जिसमें बताया कि वादी का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा नही रहा एवं प्रतिवादी नवला पिता कचरू मीणा को गैर खातेदारी से खातेदारी हक मिला है, निरन्तर प्रतिवादी नवला का ही कब्जा रहा है और उसने नियमानुसार पंजीयन करवाकर बैचान सजना पति रखीया को किया एवं उनके कब्जे काश्त में है।

Scanned with OKEN Scanner

तनकियात कायम की गई जो निम्न प्रकार है–

1. आया की मौजा दोतड की आराजी 545, 245 सरकारी बिलानाम काश्त 12 बीघा 14 बीसवा में से 05 बीघा पर वादी का कब्जा है । –जिम्मे वादी
2. आया की आराजी नंम्बर 545, 245 रकबा 12 बीघा 14 बीस्वा में से नये नम्बर 417, 425, 426, बने जो नवला को गलत दर्ज हुये। –जिम्मे वादी
3. आया की नवला को आवंटित हुआ तथा कब्जे काश्त नवला ने विक्रय रजिस्टर्ड बैचान सजना पत्नि रखीया मीणा के कब्जे में है। – जिम्मे वादी

यह कि तनकी साबित करने का भार वादी का था जो वादी साबित नही कर पाया उपरोक्त तनकियात के विश्लेशण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार करने योग्य नही है।

वादी द्वारा गवाह अर्जुन पिता ऊंकार मीणा, पुनमचन्द पिता लाला मीणा, जीवराम पिता धन्ना मीणा प्रतिवादी की ओर से गवाह नवला पिता कचरू, सजना पत्नि रखीया, रतनलाल पिता गोतम मीणा के बयान लेखबद्ध किये गये । प्रस्तुत गवाहन एवं दस्तावेजों का अवलोकर किया गया विधमान अधिवक्ता अभय पक्ष की लिखित बहस जवाब तनकियात के आधार पर वादी द्वारा पेश वाद को खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

(दिनेश कुमार मंण्डोरा)
उपखंण्ड अधिकारी
पीपलखूंट

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखंण्ड अधिकारी
पीपलखूंट

Scanned with OKEN Scanner